न्यायालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

फर्द अहकाम

(नियम 36)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम प्रतापगढ़

मांगीलाल पिता नारायण बनाम लालचन्द पिता [illegible] देवीलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 04/ सन् 2025 GCMS NO.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए।
15/4/25	अधिवक्ता श्री कमलसिंह गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 237 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् बाबत् न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, धरियावद के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 04/2019 अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवान श्री मांगीलाल वगैराह बनाम लालचंद वगैराह को श्रवणीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी से असंतुष्ट होकर अन्य पीठासीन अधिकारी को अन्तरित करने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दावा प्रति के आधार पर उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक बहस के अध्यायाधीन प्रकरण का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किये जाने पर संज्ञान में आया कि प्रश्नगत प्रकरण धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्थाई निषेधज्ञा हेतु वर्ष 2019 से संचालित होकर 5 से अधिक पूराना होकर विचाराधीन है। जिस अन्तर्गत मौका स्थिति एवं अन्य विवाद्यकों का त्वरीत निस्तारण अनिवार्य होने तथा प्रकरण का वादी/प्रार्थी स्वयं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादी स्वयं के द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र को इतनी लम्बी अवधी बाद अन्तरण की मांग केवल प्रार्थना पत्र में वर्णित निराधार कथनों के आधार पर किया जाना समुचित नहीं प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मेरिट आधार पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)	